

—: आदेश :—

16-01-2014

श्री बिकास कुमार सिंह, पिता-स्व० मधेश्वर सिंह, सा०-1/7, विवेकानन्द पार्क, न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी, थाना-पाटलिपुत्रा, जिला-पटना द्वारा एक एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2010 में समर्पित किया गया। आवेदक से प्राप्त आवेदन पर विविध शस्त्र वाद सं०-09-329/2010 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक-16.01.2014 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई।

निर्धारित तिथि को आवेदक का पक्ष सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि उनका मोबाईल और सीम कार्ड बिक्री का व्यवसाय हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-1597/गो०, दिनांक-01.08.2010 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त आवेदक के स्थायी पते पर सत्यापन के पश्चात आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। पुलिस उपाधीक्षक, विधि-व्यवस्था, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, पाटलिपुत्रा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक के स्थायी पता पर जाँच कराते हुए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, पाटलिपुत्रा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक मोबाईल, सीम कार्ड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। व्यवसाय के क्रम में पैसा लाने और ले जाने के उपरांत भय महसूस होता है। तदोपरान्त आवेदक के जान-माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में 'नहीं' प्रतिवेदित किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका-10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक को शस्त्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है, लेकिन इसके लिए कोई विशेष तथ्य नहीं बताया गया है। साथ ही वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर के पत्रांक-280/गो०, दिनांक-09.08.2011 द्वारा थानाध्यक्ष, शाहकुंड के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित एवं अनुशंसित किया गया है। थानाध्यक्ष, शाहकुंड के जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक का स्थायी पता सही है और उनके विरुद्ध थाना अभिलेख में कोई शिकायत दर्ज नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप-धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य

(Handwritten signature)


उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहाँ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहाँ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।”

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री बिकास कुमार सिंह, पिता-स्व0 मधेश्वर सिंह, सा0-1/7, विवेकानन्द पार्क, न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी, थाना-पाटलिपुत्रा, जिला-पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।
लेखापित एवं संशोधित।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।